बिहार विधान परिषद

205वांं शीतकालीन सत्र

लिखित उत्तर के लिए अल्पसूचित प्रश्न

8 नवंबर 2023

: [सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 11

परिवहन भत्ता

15. **श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा)ः**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार मकान किराया भत्ता नियमावली, 1980 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या- 6011/वि०, दिनांक- 10.07.2023 द्वारा अन्या जगहों में प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्ति स्थल का मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता उनके योगदान की तिथि से प्रदान करने का प्रावधान स्पष्ट किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के आलोक में किशनगंज जिला के समाहरणालय संवर्ग से पटना में प्रतिनियुक्त कर्मी को ज्ञापांक- 700/जि. स्था., दिनांक- 19.08.2023 द्वारा मात्र मकान किराया भत्ता की स्वीकृति पत्र निर्गत की तिथि से स्वीकृत की गयी है ;

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत चकबंदी निदेशालय से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/मुख्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मी को चकबंदी निदेशालय के पत्रांक- 428, दिनांक- 19.06.2020 द्वारा उनके प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान की तिथि से पटना शहर का मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता

अनुमान्य किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना में प्रतिनियुक्त कर्मी को पटना शहर में प्रतिनियुक्ति की तिथि से मकान किराया के साथ-साथ शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृत कर भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आवेदन का निष्पादन

16. **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के घोसवरी, पंडारक, दुल्हिन बाजार, बिहटा एवं संपतचक अंचल में परिमार्जन एवं दाखिल-खारिज के मामले में बहुतायत संख्या में आवदन प्राप्त हुए हैं तथा इन मामलों का निष्पादन भी किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन अंचलों में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अब तक आये आवेदन एवं उसके निष्पादन की संख्या से सदन को अवगत कराना चाहती है?

नाला का निर्माण

17. **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं.- 39 के कृष्णापुरी मुहल्ला में नाला नहीं रहने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है तथा बरसात के दिनों जल जमाव के कारण आमजनों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त वार्ड में नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मुआवजा का भुगतान

18. **श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया प्रखंड की ग्राम पंचायत धमौरा की निशा कुमारी, पिता- भूषण मुखिया एवं झूना राम, पिता- भुआल राम की मृत्यु

वर्ष 2021 में आई भीषण बाढ़ में डूब जाने के कारण हो गई परन्तु अब तक सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राशि मृतक के परिवारजन को नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इस हेतु आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर लेने के बावजूद आपदा राशि भुगतान में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित परिवार को आपदा राशि का तुरंत भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

रोड का निर्माण

19. **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिला अंतर्गत बिहारशरीफ प्रखंड के रहुई रोड से इमादपुर और इमादपुर से छज्जू मुहल्ला होते हुए नई सराय तक रोड बिलकुल जर्जर और टूट-फूट गया है जिससे वहां के निवासियों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रहुई रोड से इमादपुर और इमादपुर से छज्जू मुहल्ला होते हुए नई सराय तक रोड को बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त

20. **श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर अंतर्गत वार्ड नं.- 23 पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड (साकेत गैलेक्सी के सामने) से श्री राम पथ के दोनों तरफ अतिक्रमण है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ पर अतिक्रमण रहने के कारण आवागमन के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक के आने जाने में भी दिक्कत होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दुकान का आवंटन

21. **श्री जनक राम (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश शहरों में स्थानीय रोजगार से वंचित लोग सड़क किनारे खाली जगह पर दुकान लगाकर अपना रोजगार स्थापित कर जीवन-यापन करते है;

(ख) क्या यह सही है कि आए दिन नगर निगम द्वारा उक्त सड़क के किनारे लगे दुकान (ठेला-पटड़ी) को तोड़-फोड़ कर हटा दिया जाता है जिससे उक्त जगह पर दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे लोग बेरोजगार एवं निसहाय हो जाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो शहरों में जिला पार्षद/नगर निगम द्वारा दुकान बनाकर जो आवंटन किया जाता है उसमें निसहाय बेरोजगार लोगों को दुकान आवंटित नहीं हो पाता है, तो क्या सरकार इसमें आरक्षण कर वैसे जरूरतमंद दुकानदार को दुकान आवंटित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आवश्यक कार्रवाई

22. **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार)**ः

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2023 के माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के दौरान समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यथा वार्ड 22 की सड़कों पर लंबे समय तक जल-जमाव रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस मुहल्ले से जल निकासी वाला मुख्य नाला के बहाव से पानी निकलने की क्षमता कम है;

(ग) क्या यह सही है कि मुख्य नाले के जल निकासी क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरानी दुर्गा स्थान से मालगोदाम जाने वाली मुख्य सड़क को तोड़ा गया है;

(घ) क्या यह सही है कि अबतक तोड़ी गई जगह पर जल निकासी के लिए आवश्यक नाले का निर्माण नहीं हो सका है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया गया है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे कृत्य के लिए समस्तीपुर नगर निगम के अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

23. **श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया)**ः

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत अंचल-अतरी, ग्राम-टेटुआ बिगहा एवं टेटुआ डीह के बीच पुरानी परती नेचर का पन्दह-छयोर की जमीन अवस्थित है, जिसका पुराना खाता नं.- 193, पुराना खेसरा नं.- 915, नया खाता नं.- 514, नया खेसरा नं.- 2126, रकबा- 34 डिसमिल है ये रास्ता सदियों से ग्रामीणों के आवागमन का रास्ता है, जो अवैध रूप से अतिक्रमित है;

(ख) क्या यह सही है कि नये सर्वे में जालसाजीपूर्वक उक्त 34 डिसमिल जमीन में से 0.07 डिसमिल का नया खतियान बिना आधार के उमेश सिंह पिता- स्व. रामबरण सिंह, भीम सिंह- पिता स्व. सुरेश सिंह, मयंक कुमार, मनीष कुमार-पिता उमेश सिंह के बंशज के द्वारा बना लिया गया था। इसी पन्दह-छयोर के जमीन से ग्रामीणों का आवागमन एवं बरसात के दिनों में पानी निकास होता है;

(ग) क्या यह सही है कि 0.07 डिसमिल जमीन के बनाये गए फर्जी खतियान के विरुद्ध नये सर्वे के वक्त तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा दखल-कब्जा पर रोक लगा दिया गया था जिस कारणवश सदियों से आज तक पुरानी परती स्वरूप पन्दह-छयोर के रूप में चला आ रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि वर्तमान में विपक्षी द्वारा अंचलाधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर रातों-रात 10-12 हरे ताड़ के पेड़ को काटकर सरकारी नाले को ध्वस्त किया गया तथा मिट्टी भरकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया परंतु उक्त व्यक्तियों पर एफ.आइ.आर. अबतक नहीं किया गया;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंचलाधिकारी अतरी एवं खंड 'ख' में वर्णित व्यक्तियों पर एफ.आइ.आर. दर्ज करते हुए पन्दह-छयोर की 0.07 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है?

आवश्यक कार्रवाई

24. श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):

क्या **मंत्रिमंडल सचिवालय** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि गत दिनांक- 20.03.2023 को मुख्य प्रबंधक, बिहार विकास मिशन पटना की अध्यक्षता में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर/मल्टी परपस असिस्टेंट संघ के साथ बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर/मल्टी परपस असिस्टेंट संघ की मांगों पर वार्ता की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित तिथि को हुई वार्ता में संघ की पांच मांगों से संबंधित निर्णय भी लिए गए थे;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या लिए गए सभी पांच

निर्णयों पर मिशन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है एवं निर्णय पर कार्रवाई करने में विभाग को कितना समय और लगेगा, नहीं तो क्यों?

सूची से हटाने की कार्रवाई कबतक

25. **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य से झारखंड राज्य का बंटवारा वर्ष 2000 में हुआ;

(ख) क्या यह सही है कि आज भी अति पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 6 पर कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र अंकित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अति पिछड़ा वर्ग की सूची से कुर्मी (महतो) जाति को हटाना चाहेगी है, नहीं तो क्यों ?